वर्ष 2022 के लीसा फसल हेतु केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर को खाली टिनों की आपूर्ति करने हेतु निविदा विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपश्वर को वर्ष 2022 लीसा फसल के लिए खाली टिनों को नीचे तालिका में उल्लेखित मोटर मार्ग लीसा डिपो में खाली टिन आपूर्ति करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड की ओर से दिनांक 05.05.2022 को सायं 04:00 बजे तक सीलबन्द निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। प्राप्त सीलबन्द निविदाओं को अधोहस्ताक्षरी अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 06.05.2022 के पूर्वाह्न 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोले जायेंगे। विलम्ब से तथा अमान्य माध्यमों से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा। टेण्डर फार्म दिनांक 02.05.2022 के अपराह्न 04:00 बजे तक रू0 500/– (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त)का नगद भुगतान बतौर टेण्डर की कीमत अदा कर इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

प्रभाग के विभिन्न रेंजो में खाली टिनों की अनुमानित मात्रा निम्न प्रकार अंकित है जो घट–बढ़ सकती है।

क0सं0	टिनों की आपूर्ति स्थान/ रेंज का नाम	आवश्यक खाली टिनों की संख्या	निविदा धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी)	टेण्डर मूल्य
1	2	3	4	5
1.	गोपेश्वर रेंज (मासौं डिपो)	4036	12310.00	500/– (90रू0 GST अतिरिक्त)
2.	लोहवा रेंज (गैरसैंण)	7734	23590.00	500/– (90रू0 GST अतिरिक्त)
योग–		11770	–	–

पंजीकृत सीलबन्द लिफाफे के बाहर मोटे अक्षरों में "टेण्डर बावत खाली टिन आपूर्ति" लिखना आवश्यक है।

शर्तेः–

1– निविदा के साथ निविदा मूल्य का 5 प्रतिशत धनराशि का निविदा धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम निरूपित हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना निविदा धरोहर राशि के निविदा मान्य नहीं होगा।

2– निविदादात्ताओं द्वारा निविदा प्रकिया के बीच में निविदा प्रकिया से हटने की स्थिति में अथवा सफल निविदादात्ता के निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त 15 दिनों के **"भीतर कार्यपूर्ति धरोहर धनराशि"** (नेक जमानत) जमा कर इकरारनामा पर हस्ताक्षर न करने की स्थिति में उनके द्वारा निविदा के साथ जमा की गई अर्नेष्ट मनी (निविदा धरोहर धनराशि) को वन विभाग के पक्ष में जब्त कर **द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले निविदादात्ता (एल–2)** के निविदा को स्वीकार कर लिया जायेगा।

3– निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर से निविदा दर अनुमोदित होकर प्राप्त होने के पश्चात् सफल निविदादाता द्वारा कुल निविदा मूल्य के 10 प्रतिशत **कार्यपूर्ति धरोहर राशि** अधोहस्ताक्षरी के पदनाम निरूपित NSC इस कार्यालय में जमा कर इकरारनामा पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही खाली टिन आपूर्ति करने का आदेश इस कार्यालय द्वारा जारी किया जायेगा।

4– कार्यादेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर खाली टिनों का आपूर्ति प्रारम्भ करना होगा। इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार सफल निविदात्ता को निर्दिष्ट लीसा डिपो तक तुरन्त खाली टिनों का आपूर्ति करना होगा। आपूर्ति में विलम्ब होने की दशा में नेक जमानत जब्त कर निविदा को निरस्त कर दी जायेगी।

5– खाली टिन की आपूर्ति करने के दौरान कच्चे माल की दरों में वृद्धि आदि की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी तथा निविदादाता द्वारा दी गई दरें स्थिर रहेंगी। प्राइज वैरीएशन क्लाज लागू नहीं होंगे।

Scanned with CamScanner

6— विशेष परिस्थितियों में निविदा को कभी भी निरस्त करने का अधिकार प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर के पास सुरक्षित रहेगा, जिसे मानना सफल निविदात्ता को बाध्य होगा।

7— निविदा स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निविदात्ता को कार्यपूर्ति धरोहर धनराशि जमा कर इकारारनामें पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय के भीतर कार्यपूर्ति धरोहर धनराशि जमा कर इकरारनामें में हस्ताक्षर न करने की स्थिति में सफल निविदात्ता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि (नेक जमानत) की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा, तथा विभाग स्वीकृत निविदा दर की सीमा तक किसी भी विक्रेता से खाली टिन खरीदने के लिए स्वतन्त्र होगा।

8— अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये ही स्वीकार करने या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा जिसे निविदात्ता को स्वीकार करना होगा।

9— वन विभाग एवं सफल निविदा के बीच उत्पन्न होने वाली किसी भी विवाद के निस्तारण हेतु निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर, आर्बिट्रेटर होंगे, जिनका निर्णय दोंनो पक्ष को मानना बाध्यकारी होगा। किसी भी प्रकार के न्यायियक कार्यवाही हेतु जनपद चमोली ही न्यायिक क्षेत्र होगा।

10— आपूर्ति किये जाने वाले खाली टिनों की विशिष्टियां

क0सं0	कय की जाने वाली सामग्री का नाम	सामग्री की विशिष्टता एवं मानक
1.	खाने का तेल, घी या मिट्टी तेल के खाली टिन	1— खाली टिन का माप 320X228X228 millimetre 2— टिन के पूर्व उपयोग की स्थिति— टिन पूर्व में केवल एक बार खाद्य तेल अथवा घी को मरने में उपयोग किया गया हो। 3— टिन के ऊपरी भाग की स्थिति की विशिष्टता— 3.1— खाली टिन के ऊपरी भाग पर 5 से0मी0 व्यास का एक छेद हो जिसके चारों तरफ दुबारा सील लगाने का निशान न हो। 3.2— टिन को उठाने के लिए कुण्डा/हैण्डिल लगा हो। 4— टिन से लीकेज नहीं होने की विशिष्टता— खाली टिन में ऊपरी भाग पर एक छेद को छोड़कर अन्य कोई छेद या लीकेज नहीं होनी चाहिए। 5— टिन पर एनोडायजिंग/पालिश की स्थिति— टिन में जंग नहीं लगा होना चाहिए। 6— टिन में लीसा मर लेने की क्षमता— टिन पिचका हुआ न हो तथा टिन में लीसा भरने की क्षमता कम से कम 15 किलोग्राम हो। 7— टिन की अंदरूनी एवं बाहरी सतह की सफाई की स्थिति— टिन अन्दर व बाहर से, रेंज अधिकारी के संतुष्टि अनुसार, मली प्रकार साफ किया गया हो।

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

पत्रांक 5306 /10-6 दिनांक गोपेश्वर 23/4/2022

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फिर रिजर्व, गोपेश्वर।
2— वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
3— समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद चमोली।
4— जिलाधिकारी, चमोली।
5— लीसा डिपो अधिकारी, ऋषिकेश।
6— जिला सूचना अधिकारी चमोली।
7— मुख्य कोषाधिकारी, गोपेश्वर।
8— नोटिस बोर्ड हेतु।

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

Scanned with CamScanner